कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

फूड बाजार/निजी बाजार लगाये जाने हेतु आपत्ति एवं निस्तारण का विवरण :–

क्र0सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति	आपत्ति सुनवाई व निस्तारण
01	श्री प्रशांत नेगी	1– निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त करने। 2– फूड कोर्ट/हाट बाजार की आपस में दूरी 01 किलोमीटर किये जाने के सम्बंध में।	1– आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/– की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया। 2– अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1 किलोमीटर के दायरे का निर्बन्धन उचित नहीं है।
02	श्री रविन्द्र सिंह कुँवर	1– निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त करने। 2– फूड कोर्ट/हाट बाजार की आपस में दूरी 01 किलोमीटर किये जाने के सम्बंध में।	1– आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/– की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया। 2– अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1 किलोमीटर के दायरे का निर्बन्धन उचित नहीं है।
03	श्री शुभ शर्मा	निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त किये जाने के सम्बंध में।	आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/– की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया।
04	श्री भुवन आर्या	1– निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त करने। 2– फूड कोर्ट/हाट बाजार की आपस में दूरी 01 किलोमीटर	1– आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/– की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया। 2– अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर

		किये जाने के सम्बंध में।	प्रदान करने के उद्देश्य से 1 किलोमीटर के दायरे का निर्बन्धन उचित नहीं है।
05	श्री भरत सिंह	निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त किये जाने के सम्बंध में।	नगर निगम द्वारा नगर सीमा में किसी व्यवसाय को संचालित व नियंत्रित करने हेतु निर्गत किये जाने वाली अनुज्ञप्ति के सम्बंध में नियमानुसार वर्क सिक्योरिटी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
06	श्री आनंद बोरा	निजी सम्पत्ति पर आयोजित फूड कोर्ट/हाट बाजार हेतु जमा की जाने वाली रू0 25,000/– की सुरक्षा राशि (एफ0डी0आर0) को समाप्त किये जाने के सम्बंध में।	नगर निगम द्वारा नगर सीमा में किसी व्यवसाय को संचालित व नियंत्रित करने हेतु निर्गत किये जाने वाली अनुज्ञप्ति के सम्बंध में नियमानुसार वर्क सिक्योरिटी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
07	श्री नवीन चन्द्र तिवारी	1– प्रति फड़/ठेला रू0 40/– प्रतिदिन व फूड वैन से रू0 50 प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है। जो कि कतापि न्यायसंगत नहीं है। 2– जमानत धनराशि रू0 25,000/– को घटाकर रू0 10,000/– किये जाने के सम्बंध में। 3– फूड कोर्ट लगाने तथा इनके शुल्क निर्धारण का अधिकार निजी बाजार/फूड प्लाजा मालिकों को दिये जाने के सम्बंध में।	1– आपत्ति पर सम्यक विचारोपरान्त आंशिक रूप से आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रति फड/ठेला/कार्ट पर रू0 40 निर्धारित किया जाता है। 2– आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/– की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया। 3– नगर निगम सीमान्तर्गत निजी बाजारों को संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने व नियंत्रण हेतु नगर निगम द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाना विधि सम्मत है।
08	श्री नवीन थरेजा	1– प्रति ठेला फड शुल्क रू0 40 व फूड ट्रक रू0 50/– शुल्क को घटाकर रू0 15/– व रू0 25/– किये जाने के सम्बंध में। 2– जमानत धनराशि रू0 10,000/– किये जाने के सम्बंध	1– आपत्ति पर सम्यक विचारोपरान्त आंशिक रूप से आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रति फड/ठेला/कार्ट पर रू0 40 निर्धारित किया जाता है।

		में। 3— 25 प्रतिशत स्थान नगर निगम हेतु रिजर्व रखने तथा अधिकतम फीस वसूली हेतु रू0 100/— की सीमा उचित नहीं होने के सम्बंध में।	2— आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/— की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया। 3— नगर निगम सीमा में पूर्व से कार्यरत फेरी फड व्यवसायियों की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिगत 01 वर्ष तक 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना आवश्यक है।
09	श्री सोबन सिंह	रू0 25,000/— की जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0(नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी—काठगोदाम के नाम पर बन्धक) को घटाकर रू0 10,000/— करने की मांग की गई है।	आपत्ति पर सम्यक विचार करते हुए जमानत धनराशि रू0 10,000/— की एफ0डी0आर0 जमा किया जाना स्वीकार किया गया।

कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 07.08.2025 के क्रम में नगर निगम सीमान्तर्गत स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन करने हेतु नगर निगम द्वारा निर्मित उपविधि के सम्बंध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई एवं आपत्ति निस्तारण करने के पश्चात संशोधित नियमावली :–

1. अनुज्ञप्ति 01 (एक) वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी जिसे निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक के द्वारा समय पर अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कराने व अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने की दशा में वर्ष–दर–वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
2. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ निजी बाजार लाईसेंस आंवटन की समस्त शर्तों का पालन करने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निजी बाजार/फूड प्लाजा में व्यवसाय करने हेतु प्रत्येक लघु व्यवसायी (ठेला–फड़ व्यवसायी) को नगर निगम कार्यालय से ट्रेड लाईसेंस/सिटी वेंडिंग कार्ड व खाद्य पदार्थों के विक्रय हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. निजी बाजार/फूड प्लाजा लाईसेंस उपविधि के अस्तित्व में आने के पश्चात नगर निगम द्वारा पूर्व में अनुज्ञापित हाट बाजार संचालक भी निजी बाजार/फूड प्लाजा हेतु आवेदन कर सकते हैं या साप्ताहिक हाट बाजार संचालन करने हेतु पूर्व में निर्गत अनुज्ञप्ति के अनुसार 01 किलोमीटर के दायरे के प्रतिबन्ध की समाप्ति के साथ पूर्व की भाँति साप्ताहिक बाजार का संचालन कर सकते हैं।
5. उक्त कार्य हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जायेगा :–

   (1) रू0 10,000/– प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति शुल्क

   (2) प्रति फड़/ठेला/फूड कार्ट रू0 40/– प्रतिदिन

   (3) रू0 10,000/– की जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 (नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नाम पर बन्धक)

   नोट :– उपरोक्त शुल्क 6×6 वर्ग फिट के कार्ट/स्टाल/हाथ ठेला/फड़ हेतु अनुमन्य होगा।
6. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति सप्ताह में जितने भी दिन बाजार संचालित करने हेतु आवेदन करेगा उतने ही दिनों का शुल्क आगणित करते हुए बाजार संचालक से वसूल किया जायेगा।
7. निजी बाजार/फूड प्लाजा में फूड वैन/कार्ट/ठेला–फड़ आदि को स्थान उपलब्ध कराने के लिए 01 वर्ष तक नगर निगम हेतु 25 प्रतिशत स्थान रिजर्व रखना अनिवार्य होगा जिनसे नगर निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम रू0 100/– (रू0 सौ मात्र) प्रतिदिन शुल्क लिया जायेगा।
8. उक्त रिजर्व स्थान नगर निगम द्वारा वर्ष 2024–2025 में कराये गये सर्वे में चिन्हित 1826 वैण्डर/फड़ फेरी व्यवसायियों को ही उपलब्ध कराये जायेंगें।
9. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के पश्चात निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को प्रत्येक 03 (तीन) माह का शुल्क अग्रिम जमा कराना अनिवार्य होगा।
10. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को प्रस्तावित निजी बाजार/फूड प्लाजा स्थल पर आने वाले उपभोक्ताओं हेतु वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराना होगा। वाहनों की पार्किंग इस प्रकार से करायी जायेगी जिससे वाहन ट्रैफिक जाम का कारण न बनें।
11. निजी बाजार/फूड बाजार संचालक द्वारा आवंटित स्थल के बाहर कोई भी ठेला/फड़ आदि नहीं लगवाया जायेगा यदि अनुमन्य स्थल के बाहर कोई ठेला–फड़ आदि लगा पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तदायीत्व आवंटी का होगा।
12. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापी को स्वयं के व्यय पर नगर निगम के साथ निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा।

13. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन हेतु आवेदक को फूड़ प्लाजा स्थल का ले–आउट प्लान प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसमें पार्किंग, फूड वैन/फूड कार्ट/फड़/शौचालय आदि स्थापित किये जाने का स्पष्ट प्लान दर्शाया जायेगा।

14. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालनकर्ता को निजी बाजार/फूड प्लाजा स्थल पर जन सुविधाएं यथा पार्किंग, लाईट, शौचालय, साफ–सफाई, व सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्य रूप से की जायेंगी।

15. निजी बाजार/फूड प्लाजा बाजार स्थल की सफाई की व्यवस्था संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर करायी जायेंगी। उक्त कार्य में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु नगर निगम का यूजर चॉर्ज (शुल्क) नगर निगम कार्यालय में जमा कराये जाने पर नगर निगम द्वारा कूड़ा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

16. निजी बाजार/फूड प्लाजा में पॉलीथीन/थरमाकॉल/Single use plastic एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सफाई तथा स्वच्छता के मानकों एवं प्लास्टिक उपयोग सम्बन्धी प्रतिबन्धों के बार–बार उल्लघंन पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

17. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक को बाजार स्थल पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालक का नाम, मोबाईल नंम्बर, बाजार स्थल का क्षेत्रफल, पार्किंग स्थल–शौचालय आदि का चिन्ह व शुल्क सूची अंकित किये जायेंगे।

18. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन अवधि में यदि अधिकृत आवंटी निजी बाजार/फूड प्लाजा नहीं लगाना चाहता है तो इस संबंध में 01 माह का नोटिस (शपथ पत्र) नगर निगम को देना होगा।

19. किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा तथा किसी वाद हेतु क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के न्यायलयों में होगा।

20. निजी बाजार/फूड प्लाजा में आगजनी की घटना/अन्य दुर्घटनाओं से निपटने की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा उपकरण व निस्तारण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संचालक की होगी। इस सम्बंध में प्रार्थी/आवेदक को अग्नि शमन/विद्युत विभाग या अन्य सम्बंधित विभागों से अनापत्ति स्वयं के स्तर से प्राप्त करनी होगी।

21. निजी बाजार/फूड प्लाजा में व्यापारियों/उपभोक्ताओं के मध्य कोई विवाद को स्वयं अथवा पुलिस प्रंशासन के माध्यम से निस्तारित कराने की जिम्मेदारी स्वयं संचालक की ही होगी।

22. निजी बाहर/फूड प्लाजा स्थल में कोई भी अवैधानिंक कृत्य या व्यवसाय किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा इस सम्बंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने तथा दोषसिद्ध होने पर या औचक निरीक्षण में ऐसी स्थिति पाये जाने पर अनुज्ञप्ति/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

23. निजी बाजार/फूड प्लाजा संचालन की शर्तें अनुबंध का भाग होंगी तथा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर या यातायात, जन स्वास्थ्य, औचित्यपूर्ण जन शिकायत, किसी राजकीय विभाग की औचित्यपूर्ण आपत्ति, कानून एवं व्यवस्था आदि के आधार पर किसी भी समय अर्थदण्ड अधिरोपित करने अथवा आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में निहित होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

21614/2

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

आवेदन प्रपत्र

1. नाम–..

2. पिता का नाम–..

3. पता–...

....

....

4. मोबाईल नं0–...

5. शुल्क धनराशि का विवरण –...

6. लगाये जाने वाले ठेले फड़/फूड कार्ट/वैन की संख्या–......................................

7. फूड प्लाजा/हाट बाजार/निजी बाजार स्थल का Layout प्लान–.......................

8. नोटरीकृत शपथ पत्र –..

9. परिचय पत्र फोटो सहित/आधार कार्ड–...

10. भूमि स्वामित्व का प्रमाण–पत्र (खतौनी/रजिस्ट्री आदि) या भू–स्वामी के साथ रैन्ट एग्रीमेन्ट की प्रमाणित छायाप्रति।